

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 136/2024

दायर दिनांक 18.06.2024

वादी

- कैलाश बावरी पुत्र
चेनाराम जाति बावरी
निवासी खरेश तहसील
छोटी खाटू जिला
डीडवाना-कुचामन राज0

प्रतिवादी

- डालूराम पुत्र बन्नाराम मेघवाल
- रतनाराम पुत्र बन्नाराम
- भंवरी पुत्री बन्नाराम मेघवाल
- रामेश्वरी देवी पुत्री बन्नाराम मेघवाल निवासी
खुड़ी तहसील छोटी खाटू जिला
डीडवाना-कुचामन राज0
- नोरत पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी
काढा तहसील किशनगढ़ हाल कोडिया
- किशोर राम पुत्र मांगीलाल मेघवाल
- गोविन्दराम पुत्र हरफूल नायक
- चूनाराम पुत्र मांगीलाल मेघवाल निवासीगण
खरेश तहसील डीडवाना
- कमलादेवी पत्नी रूपाराम भाम्बी
- जुगल पुत्र रूपाराम भाम्बी
- पपूराम पुत्र रूपाराम भाम्बी निवासी खुड़ी
तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना-कुचामन
- राजूराम पुत्र रामनिवास भाम्बी
- मनोहरी देवी पुत्री रामनिवास भाम्बी
- लिछमा पुत्री रामनिवास भाम्बी
- विमला पुत्री रामनिवास भाम्बी
- शान्ति देवी पत्नी रामनिवास भाम्बी
- हजारीराम पुत्र रामनिवास भाम्बी निवासीगण
खुड़ी तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना
- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा छोटी खाटू
- ना.स.भू.वि. बैंक शाखा डीडवाना।
- आईसीआईसीआई बैंक शाखा कुचामन सिटी
- तहसीलदार छोटी खाटू।

बनाम

दावा बाबत

रेकॉर्ड दुरुस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

- श्री प्रितम सिंह राठौड़ वकील वादी।
- श्री ओमप्रकाश वकील प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक 28.10.2024

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 17 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के खेत खरारा सं0 191 रकबा 9.6600 है0 (0.0800 है0 गै0मु0 रास्ता व 9.5800 है0 बारानी 1), खसरा सं0 207 रकबा 0.8500 है0 बारानी 1, खसरा सं0 223 रकबा 0.0100 है0 गै0मु0 कुण्ड, खसरा सं0 119 रकबा 5.6200 हैक्टे0 बारानी उत्तम वाकै सरहद खुड़ी पटवार हल्का पावा भू0अभि0नि0 क्षेत्र खाटू खुर्द तहसील छोटी खाटू में अवस्थित है। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपिया वाद के साथ प्रस्तुत है।

W. S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



यह है कि वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 17 के मध्य उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से हैकटे० :-

1. वादी कैलाश बावरी व प्रतिवादी सं० 6 ता 8 के नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा निम्न प्रकार से है :- खसरा सं० 207 रकबा 0.8500 है० बाराणी 1 वाकै सरहद खुड़ी सम्पूर्ण भूमि व खसरा सं० 191 रकबा 9.6600 हैकटे० में से 5.7000 है० भूमि बंट व हिस्से में आई हुई है।
2. प्रतिवादी सं० 1 डालूराम के नजरी नक्शा अनुसार बंट व हिस्से में आई भूमि बंटवारा निम्न प्रकार है :- खसरा सं० 224 रकबा 3.5200 हैकटे० वाकै सरहद खुड़ी में से 1/2 भाग भूमि व खसरा सं० 191 रकबा 9.6600 है० भूमि में से 0.73 है० भूमि बंट व हिस्से में आई हुई है।
3. प्रतिवादी सं० 12 ता 17 के नजरी नक्शा अनुसार बंट व हिस्से में आई भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है :- खसरा सं० 224 रकबा 3.5200 हैकटे० वाकै सरहद खुड़ी में से 1/2 भाग भूमि व खसरा सं० 191 रकबा 9.6600 हैकटे० भूमि में से 0.73 है० भूमि व खसरा सं० 223 रकबा 0.0100 हैकटे० गै०मु० कुण्ड बंट व हिस्से में आई हुई है।
4. प्रतिवादी सं० 2 रतनाराम के नजरी नक्शा अनुसार बंट व हिस्से में आई भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है :- खसरा सं० 191 रकबा 9.6600 है० में से 2.50 हैकटे० भूमि बंट व हिस्से में आई हुई है।
5. प्रतिवादी सं० 6 नोरत के नजरी नक्शा अनुसार बंट व हिस्से में आई भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है :- खसरा सं० 119 रकबा 5.6200 हैकटे० भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.8733 है० भूमि बंट व हिस्से में आई हुई है। शेष सभी खातेदारों का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे।
6. प्रतिवादी सं० 9 ता 11 के नजरी नक्शा अनुसार बंट व हिस्से में आई भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है :- खसरा सं० 119 रकबा 5.6200 हैकटे० भूमि में से 3.7467 है० भूमि बंट व हिस्से में आई हुई है। शेष सभी खातेदारों का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे।
यह है कि खेत खसरा सं० 119 में प्रतिवादी सं० 5 व 9 ता 11 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे तथा शेष खातेदारों के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:-

1. वादी कैलाश बावरी व प्रतिवादी सं० 6 ता 8 के नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा निम्न प्रकार से है :- खसरा सं० 207 रकबा 0.8500 है० बाराणी 1 वाकै सरहद खुड़ी सम्पूर्ण भूमि व खसरा सं० 191 रकबा 9.6600 हैकटे० में से 5.7000 है० भूमि बंट व हिस्से में रखी जावे।
2. प्रतिवादी सं० 1 डालूराम के नजरी नक्शा अनुसार बंट व हिस्से में आई भूमि बंटवारा निम्न प्रकार है :- खसरा सं० 224 रकबा 3.5200 हैकटे० वाकै सरहद खुड़ी में से 1/2 भाग भूमि व खसरा सं० 191 रकबा 9.6600 है० भूमि में से 0.73 है० भूमि बंट व हिस्से में रखी जावे।
3. प्रतिवादी सं० 12 ता 17 के नजरी नक्शा अनुसार बंट व हिस्से में आई भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है :- खसरा सं० 224 रकबा 3.5200 हैकटे० वाकै सरहद खुड़ी में से 1/2 भाग भूमि व खसरा सं० 191 रकबा 9.6600 हैकटे० भूमि में से 0.73 है० भूमि व खसरा सं० 223 रकबा 0.0100 हैकटे० गै०मु० कुण्ड बंट व हिस्से में रखी जावे।
4. प्रतिवादी सं० 2 रतनाराम के नजरी नक्शा अनुसार बंट व हिस्से में आई भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है :- खसरा सं० 191 रकबा 9.6600 है० में से 2.50 हैकटे० भूमि बंट व हिस्से में रखी जावे।
5. प्रतिवादी सं० 6 नोरत के नजरी नक्शा अनुसार बंट व हिस्से में आई भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है :- खसरा सं० 119 रकबा 5.6200 हैकटे० भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.8733 है० भूमि बंट व हिस्से में रखी जावे।
6. प्रतिवादी सं० 9 ता 11 के नजरी नक्शा अनुसार बंट व हिस्से में आई भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है :- खसरा सं० 119 रकबा 5.6200 हैकटे० भूमि में से 3.7467 है० भूमि बंट व हिस्से में रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

यह है कि खेत खसरा सं० 119 में प्रतिवादी सं० 5 व 9 ता 11 के नाम खातेदारी दर्ज की जावें तथा शेष खातेदारो का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। राजीनामा दिनांक 18.09.2024 को पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादीगण तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा राजीनामा व राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुरूप दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने राजीनामा व राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया वाकै सरहद खुड़ी पटवार हल्का पावा भू०अभि०नि० क्षेत्र खादू खुद के खेत खसरा सं० 191 रकबा 9.6600 है०, खसरा सं० 207 रकबा 0.8500 है०, खसरा सं० 223 रकबा 0.0100 है०, खसरा सं० 119 रकबा 5.6200 हैक्टे० की भूमि में खातेदार राजीनामा व राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुरूप दावा डिक्री करवाने की इस्तदुआ कर रहे है। प्रतिवादीगण बाहमी बन्तवारा की पुष्टि में राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रश्नगत भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 17 सहखातेदार है। सहखातेदार होने के कारण वादी बन्तवारा करवाने का कानूनन अधिकारी है। शेष प्रतिवादीगण को वाद स्वीकार है।

अतः वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 व 6 ता 17 की तरफ से प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिपेक्ष में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

--: आदेश ::--

दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद खुड़ी पटवार हल्का पावा भू०अभि०नि० क्षेत्र खादू खुद ^{इ.स.नं. 224} ₂ खेत खसरा सं० 191 रकबा 9.6600 है०, खसरा सं० 207 रकबा 0.8500 है०, खसरा सं० 223 रकबा 0.0100 है०, खसरा सं० 119 रकबा 5.6200 हैक्टे० में वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18.09.2024 व नजरी नक्शा के अनुसार बन्तवारा कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व दिनांक 18.09.2024 व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग होगा व रहन यथावत रहेगा।

W/As
(विकास मोहन भादी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

W/As
(विकास मोहन भादी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,

बइजलास : पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 136/2024

दायर दिनांक 18.06.2024

वादी

1. कैलाश बावरी पुत्र
चेनाराम जाति बावरी
निवासी खरेश तहसील
छोटी खाटू जिला
डीडवाना-कुचामन राज0

प्रतिवादी

1. डालूराम पुत्र बन्नाराम मेघवाल
2. रतनाराम पुत्र बन्नाराम
3. भंवरी पुत्री बन्नाराम मेघवाल
3. रामेश्वरी देवी पुत्री बन्नाराम मेघवाल
निवासी खुड़ी तहसील छोटी खाटू जिला
डीडवाना-कुचामन राज0
4. नोरत पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी
काढा तहसील किशनगढ़ हाल कोडिया
5. किशोर राम पुत्र मांगीलाल मेघवाल
6. गोविन्दराम पुत्र हरफूल नायक
7. चूनाराम पुत्र मांगीलाल मेघवाल निवासीगण
खरेश तहसील डीडवाना
8. कमलादेवी पत्नी रूपाराम भाम्बी
9. जुगल पुत्र रूपाराम भाम्बी
10. पपूराम पुत्र रूपाराम भाम्बी निवासी खुड़ी
तहसील छोटी खाटू जिला
डीडवाना-कुचामन
11. राजूराम पुत्र रामनिवास भाम्बी
12. मनोहरी देवी पुत्री रामनिवास भाम्बी
13. लिछमा पुत्री रामनिवास भाम्बी
14. विमला पुत्री रामनिवास भाम्बी
15. शान्ति देवी पत्नी रामनिवास भाम्बी
16. हजारीराम पुत्र रामनिवास भाम्बी
निवासीगण खुड़ी तहसील छोटी खाटू
जिला डीडवाना
17. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा छोटी खाटू
18. ना.स.भू.वि. बैंक शाखा डीडवाना।
19. आईसीआईसीआई बैंक शाखा कुचामन
सिटी
20. तहसीलदार छोटी खाटू।

बनाम

Wes
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दावा बाबत
रास्ता तरमीम, घोषणा खातेदारी
रेकॉर्ड दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 28.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री प्रितम सिंह वकील वादी व श्री ओमप्रकाश वकील प्रतिवादीगण की आरे से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सुनिर कर वाकै सरहद खुड़ी पटवार हल्का पावा भू0अभि0नि0 क्षेत्र खाटू खुद के खेत खसरा सं0 191 रकबा 9.6600 है0, खसरा सं0 207 रकबा 0.8500 है0, खसरा सं0 223 रकबा 0.0100 है0, खसरा सं0 119 रकबा 5.6200 हैक्टे0 में वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18.09.2024 व नजरी नक्शा के अनुसार बंटवारा कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व दिनांक 18.09.2024 व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग होगा व रहन यथावत रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.10.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Wheas
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड डीडवाना
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Wheas
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड डीडवाना
डीडवाना